

पूर्व मध्य रेल
जारी की गई अंतिम संशोधन पर्ची संख्या- 05 दिनांक 28.03.2022
संशोधन पर्ची संख्या - 06
(दुर्घटना नियमावली (हिंदी संस्करण-2018))

पुनर्मुद्रित संशोधित दुर्घटना नियमावली (अंग्रेजी संस्करण) -जुलाई 2022 में निम्नलिखित संशोधनों को समावेशित कर दिया गया है ।

12 मदों सहित दुर्घटना नियमावली (हिंदी संस्करण -2018) में निम्नलिखित संशोधन/आशोधन किए गए हैं जो कि आवश्यक अनुपालन हेतु भेजे जा रहे हैं ।

मद संख्या 01

नीचे वर्णित पदनामों को निम्नवत संशोधित किया गया है, अतः दुर्घटना नियमावली हिंदी संस्करण में सभी जगहों पर संशोधित कर इसे निम्नवत पढ़ा जाए ।

- i. उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (संरक्षा) को संशोधित कर उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (यातायात) पढ़ें ।
- ii. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (संरक्षा) को संशोधित कर उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (यांत्रिक) पढ़ें ।
- iii. उप मुख्य इंजीनियर (संरक्षा) को संशोधित कर उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (इंजीनियरिंग) पढ़ें ।
- iv. उप मुख्य विद्युत इंजीनियर (संरक्षा) को संशोधित कर उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (विद्युत) पढ़ें ।
- v. लोको फोरमैन को संशोधित कर एस. ई/एस.एस.ई (लोको) पढ़ें ।
- vi. मुख्य इंजीनियर को संशोधित कर प्रमुख मुख्य इंजीनियर पढ़ें ।
- vii. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर को संशोधित कर प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर पढ़ें ।
- viii. मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को संशोधित कर प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक पढ़ें ।
- ix. मुसिदूई को संशोधित कर प्रमुसिदूई पढ़ें ।

पूरुमे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक - 02.05.2023

मद संख्या 02

अध्याय III में निम्नलिखित संशोधनों को यथास्थान करें

- i. पृष्ठ संख्या 17 पर नियम 3.08 (V) (क) के प्रथम पंक्ति में केबिन/पैनल को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें- केबिन/पैनल/भी.डी.यू/ई.आई ।
- ii. पृष्ठ संख्या 27 पर नियम 3.18 में शक्ति नियंत्रक के कर्तव्य को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें- शक्ति नियंत्रक/टी.एस. (यूनिट) के कर्तव्य ।
- iii. पृष्ठ संख्या 28 पर नियम 3.22 (i) के प्रथम पंक्ति में वमविई को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें- वमविई (ओ. पी.) ।
- iv. पृष्ठ संख्या 29 पर नियम 3.23 (i) के पावर एवं कैरेज एवं वैगन दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें- वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (टी. एस)/मंडल यांत्रिक इंजीनियर (टी.एस.) एवं कैरेज एवं वैगन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ।
- v. पृष्ठ संख्या 30 पर नियम 3.25 (i) (ख) में उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (संरक्षा)/वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक (संरक्षा) के स्थान पर उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (यातायात) पढ़ें ।

पूरुमे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक - 02.05.2023

मद संख्या 03

अध्याय IV में निम्नलिखित संशोधनों को यथास्थान करें

- i. पृष्ठ संख्या 39 पर नियम 4.12 (ii) में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें— वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (ओ. पी) ।
- ii. पृष्ठ संख्या 39 पर नियम 4.12 (iv) में मंडल यांत्रिक इंजीनियर (पी)/संयार्ड (पी) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें— मंडल यांत्रिक इंजीनियर (टी. एस.)/संयार्ड (टी.एस.)
- iii. पृष्ठ संख्या 40 पर नियम 4.14 (2) के ग (Xiii) ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें— ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट/यू. एफ. एस. बी. आई.।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक - 02.05.2023

मद संख्या 04

अध्याय V में निम्नलिखित संशोधनों को यथास्थान करें

- i. पृष्ठ संख्या 48 पर नियम 5.13 से निम्नलिखित को हटा दें ।

प्राईमस/जनता स्टोव (स्पेयरों के साथ)	- 02
किरोसिन तेल	-01 टीन
स्प्रीट	-01 बोतल
- ii. पृष्ठ संख्या 49 पर नियम 5.13 में पत्ती वाली चाय - 03 किलोग्राम को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें - पत्ती वाली चाय/ टी. बैंग- 03 किलोग्राम।
- iii. पृष्ठ संख्या 51 पर नियम 5.21 (ii) के दूसरी पंक्ति में पोर्टेबल टेलीफोन, मोबाईल टेलीफोन, वॉकी-टॉकी सेट को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें - पोर्टेबल टेलीफोन, मोबाईल टेलीफोन, वॉकी-टॉकी सेट, सेटेलाईट फोन ।
- iv. पृष्ठ संख्या 55 पर नियम 5.33 के शीर्षक, घायलों की दशा के संबंध में निःशुल्क टेलीग्राम एवं पत्रों को जारी करना को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें - घायलों की दशा के संबंध में निःशुल्क टेलीग्राम/ पत्रों/सूचनाओं को जारी करना ।
- v. पृष्ठ संख्या 55 पर नियम 5.33 में निम्नवत संशोधन करें
पारा दूसरा के प्रथम पंक्ति और पारा तीसरा के प्रथम पंक्ति के टेलीग्राम को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें - टेलीग्राम/सूचना।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक - 02.05.2023

अध्याय VI में निम्नलिखित संशोधनों को यथास्थान करें

(01) पृष्ठ संख्या 63 पर नियम 6.04 (iii) के कम संख्या 3.1 से 4.0 को संशोधित कर कमांकित (क) से (ठ) तक करे और निम्नलिखित से विस्थापित कर संशोधन करें -

घ) मुख्य नियंत्रक /आपात : प्रमुखसंधि, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (यातायात), उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (कोचिंग)/एस.टी.एम (कोचिंग), सीपीटीएम, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्रमुखिनि, म.प्र. के सचिव, महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, रेलवे बोर्ड कंट्रोल ।

च) इंजीनियरिंग नियंत्रण :- प्रमुख मुख्य इंजीनियर, मुख्य ट्रैक इंजीनियर, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (इंजीनियरिंग) एवं प्रमुख मुख्य इंजीनियर द्वारा निर्णीत अन्य इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारीगण, प्रमुकाधि, प्रविसमुलेधि ।

छ) यांत्रिक नियंत्रण :- प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (परि.), मुख्य मोटिव पावर इंजीनियर (डीजल), मुख्य चल स्टॉक इंजीनियर, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (यांत्रिक) एवं प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर द्वारा निर्णीत अन्य यांत्रिक विभाग के अधिकारीगण ।

ज) विद्युत नियंत्रण :- प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर, मुविलोई, मु. वि. वितरण इंजी., मु.वि.सेवा इंजी., उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (विद्युत) एवं प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर द्वारा निर्णीत विद्युत विभाग के अन्य अधिकारीगण ।

ट) सिगनल एवं दूरसंचार नियंत्रण :- प्रमुखसिदूई, मुसिदूई (योजना), मुख्य सिगनल इंजी., उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (एस. एंड टी) एवं प्रमुखसिदूई द्वारा निर्णीत सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अन्य अधिकारीगण ।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक - 02.05.2023

(02) पृष्ठ संख्या 65 पर नियम 6.07 में निम्नवत संशोधन करें

(ii) उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (संरक्षा)/वरि. परिवहन प्रबंधक (संरक्षा) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें - (ii) उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (यातायात) ।

(iii) उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (कोचिंग) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें - (iii) उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (कोचिंग)/वरि. परिवहन प्रबंधक (कोचिंग) ।

(viii) वरि. परिवहन प्रबंधक (कोचिंग)- इसको विलोपित करें और 6.07 को पुनः (i) से (xi) तक कमांकित करें ।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक - 02.05.2023

मद संख्या 06

(01) पृष्ठ संख्या 85 पर नियम 8.02 के (V) में निम्नवत संशोधन करें

- मंडल यांत्रिक इंजीनियर को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें – मंडल विद्युत इंजीनियर
- सहायक यांत्रिक इंजीनियर को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें– सहायक विद्युत इंजीनियर ।
- शक्ति परिवहन निरीक्षक को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ें – संबंधित निरीक्षक ।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक – 02.05.2023

(02) पृष्ठ संख्या 87 पर नियम 8.04 (ख) (vi) को हटा कर पुनः कर्मांकित करें

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक – 02.05.2023

मद संख्या 07

पृष्ठ संख्या 106 पर नियम 9.23 (ग) में कम से कम छः दिनों की अवधि को संशोधित कर कम से कम सात दिनों की अवधि पढ़ें ।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक – 02.05.2023

मद संख्या 08

पृष्ठ संख्या 162 पर परिशिष्ट (बी) दानापुर मंडल में दुर्घटना राहत गाड़ी का वेस स्टेशन दानापुर में निम्नलिखित को जोड़े –

दुर्घटना राहत गाड़ी बीट/गश्त	बी डी केन का बीट/गश्त	दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण/दुर्घटना राहत चिकित्सा यान का बीट/गश्त
दनियावाँ-बिहार शरीफ	दानापुर-झाझा दानापुर-क्यूल-गया (छोड़कर) छानापुर-ताल/रामपुर डुमरा-गढ़हरा यार्ड राजगीर-तिलैया दनियावाँ -बिहार शरीफ	दनियावाँ-बिहार शरीफ

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक – 02.05.2023

मद संख्या 09

- पृष्ठ संख्या 213 परिशिष्ट (एल) में मोतिहारी को संशोधित कर बापूधाम मोतिहारी और मुख्य यार्ड मास्टर झाझा को स्टेशन अधीक्षक झाझा पढ़ें ।
- पृष्ठ संख्या 215 परिशिष्ट (एल) में लिखित मुगलसराय मंडल को संशोधित कर पंडित दीन दयाल उपाध्याय (डी.डी.यू) मंडल पढ़ें ।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक – 02.05.2023

hcr

मद संख्या 10

पृष्ठ संख्या 216, 217 परिशिष्ट (एम) के नियम ॥ के (1) (च) एवं 2 (च) में लिखित वैक्युम में खराबी को संशोधित कर वैक्युम/एयर प्रेसर में खराबी पढ़ें।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक - 02.05.2023

मद संख्या 11

पृष्ठ संख्या 257 परिशिष्ट (क्यू) 3 (ग) में लिखित वि.स एवं मु.ले.धि को संशोधित कर प्रधान वित्त सलाहकार पढ़ें।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक - 02.05.2023

मद संख्या 12

परिशिष्ट . (1) एक को अध्याय IX के परिशिष्ट I के रूप में पढ़ें।

पूमरे/दुर्घटना नियमावली-हिंदी संस्करण संशोधन पर्ची- 06 दिनांक - 02.05.2023

सर्वसंबंधित पूर्व मध्य रेल के दुर्घटना नियमावली - (हिंदी संस्करण-2018) को तदनुसार संशोधित करेंगे एवं इसे सभी संबंधित कर्मचारियों को संसुचित करेंगे।

मनोज सिंह 2/5/23

(मनोज सिंह)

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं/ई.सी.आर/दुर्घटना नियमावली/परि.सं/2/505

दिनांक- 02.05.2023